बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 5152243 पटना, दिनांक 03/02/26

ग्रा०वि०-15-(स्वच्छता)-04/2024

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव -सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।

विषय : - **वित्तीय वर्ष 2025-26 में "लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान" के अन्तर्गत कुल राशि रू0 17485.00 लाख (एक अरब चौहत्तर करोड़ पचासी लाख) रूपये का आवंटन।**

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0- 5126814 दिनांक- 29.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष- 2025-26 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत विभागीय स्वीकत्यादेश सं0- 5126814 दिनांक- 29.01.2026 द्वारा कुल राशि रू0 17485.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है तदानुसार स्वीकृत राशि की निकासी हेतु वित्तीय वर्ष- 2025-26 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत कुल राशि रू0 17485.00 लाख आवंटित की जाती है ।

2. आवंटित कुल राशि रू0 17485.00 लाख (एक अरब चौहत्तर करोड़ पचासी लाख) की निकासी विभागीय मांग संख्या 42 के अंतर्गत निम्नांकित बजट शीर्षों के अंतर्गत विकलनीय होगी :-

शीर्ष	इकाई	राशि
मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई, लघु शीर्ष-105-सफाई सेवाएं, उप शीर्ष-0105-लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, विपत्र कोड 42-2215021050105	3104-सहायक अनुदान-वेतन	17485.00 लाख
	कुल	**17485.00 लाख (एक अरब चौहत्तर करोड़ पचासी लाख)**

3. अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8593 वि0(2) दिनांक-27.11.2007 में निहित प्रावधान के अंतर्गत की जायेगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवंटित राशि की निकासी करते हुए BRLPS LSBA SLWM (O & M) STATE PLAN के HDFC Bank, Exhibition Road Branch, Patna IFSC Code HDFC0000186, खाता संख्या 50100488971199 में विमुक्त किया जायेगा । आवंटित राशि का लेखा जोखा, रोकड़ बही आदि का संधारण जीविका, बिहार पटना द्वारा अलग से किया जायेगा ।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक- 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों/ परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में राशि व्यय की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355वि (2) दिनांक-05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

7. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

3.2.26

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5152243 पटना, दिनांक 03/02/26

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3.2.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5152243 पटना, दिनांक 03/02/26

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (सिंचाई भवन), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3.2.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5152243 पटना, दिनांक 03/02/26

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जीविका / आई0टी0मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) /विभागीय लेखा शाखा/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3.2.26

सरकार के अपर सचिव